न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	84/2021
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	23.03.2021
निर्णय दिनांक	02.08.2021

उनवान

(1) गंगा पुत्री लालू ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(2) भाली पुत्री लालू ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(3) रामप्रसाद पुत्र लालू ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(4) लादूलाल पुत्र लालू व मोहन पुत्र हरदेव मृतक के वारिसान
1. प्रेमदेवी पुत्री मोहन ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
2. कैलाश पुत्र मोहन ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
3. मधूदेवी पुत्री मोहन ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
(5) भूरा पुत्र हरदेव मृतक के बजाय के वारिसान
1. बालीदेवी पुत्री भूरा ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
2. शिवनारायण पुत्र भूरा ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
(6) शंकर पुत्र हरदेव मृतक के बजाय वारिसान
1.भगवतीदेवी पुत्री शंकर ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
2.ओमप्रकाश पुत्र शंकर ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
3.जगदीश पुत्र शंकर ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
4.सीता पुत्री शंकर ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
(7) सोहन पुत्र हरदेव मृतक के बजाय वारिसान
1.मायादेवी पुत्री सोहन ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
2.संतोषदेवी पुत्री सोहन ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
3.मदन पुत्र सोहन ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
4.रामस्वरूप पुत्र सोहन ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द
5.दिनेश पुत्र सोहन ब्राह्मण नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द

– प्रार्थी /प्रार्थीगण

बनाम

1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थी /अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण	प्रार्थीगण स्वयं
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	श्री [illegible]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें । प्रार्थी / प्रार्थीगणों की कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
कोरनास	2073-2076	430	388	0.06

(2) प्रार्थी / प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी / अप्रार्थीगणों की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	भौगोलिक स्थिति
कोरनास	387	0.38	आराजी की पूर्वी मेड़ के सहारे-सहारे

(3) प्रार्थी/प्रार्थीगणों की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है । इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है । आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है ।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है । तहसीलदार आसीन्द की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2021 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है ।

(5) प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । वक्त बहस प्रार्थी/प्रार्थीगण का कथन था कि प्रार्थी/प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है । प्रार्थी/प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है । तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें ।

(6) तहसीलदार आसीन्द ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है । आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है । इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता या उपाय उपलब्ध नहीं है । आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है ।

(7) बहस प्रार्थीगण पर मनन किया । रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया । प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता तहसीलदार आसीन्द की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होने तथा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से एंव प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के लिये की गयी रास्ते की मांग इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थी /प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने के लिये तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावे ताकि प्रार्थी /प्रार्थीगण अपने खेतों पर आ-जा सके तथा कृषि कार्य कर सके । तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि –

<u>क्रियात्मक – आदेश</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी / प्रार्थीग[illegible]यक आसीन्द द्वारा निर्धारित की गयी भूमि प्रतिकर की राशि की दुगनी राशि राजकोष में अमानत मद में जमा [illegible] बाबत सहमत होने से भूमि प्रतिकर की राशि जमा होने के पश्चात मौका रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / संलग्न नक्शे के अनुसार निम्नांकित कृषि भूमि को अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के खाते की भूमि में से कम की जाकर बिलानाम सरकार गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी/प्रार्थीगण से प्राप्त अमानत राशि का भुगतान अप्रार्थी /अप्रार्थीगणों को उनके खाते में से कम हुये रकबे के आधार पर उनके हक हिस्से के अनुपात में किये जाने के आदेश किये जाते है –

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

क्र.सं.	ग्राम नाम	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	प्रस्तावित रास्ते की भौगोलिक स्थिति	भूमि की D.L.C. दर प्रति हेक्टर	भूमि की कुल कीमत (5x7)	भूमि की दुगुनी कीमत जो राजकोष के अमानत मद में जमा करायी जानी है (8x2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कोल्यास	387	0.38	0.0570	पूर्वी मेड़ के सहारे	187020	10660	21320

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 02.08.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2021/ दिनांक

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested